

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

राजस्थान सरकार जरिये भूमि

चुनाराम पुत्र कालूराम जाति

अधिकारी तहसीलदार जैतारण

मेघवाल

मु0न0 :रा0वा0स0: 97/2023


राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-.....  
व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब  
मुद्धायलाह श्री विजयराज, अधिवक्ता, प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि  
वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में कोई  
कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर  
निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद  
व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को  
अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09.01.2025  
को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जैतारण  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण  
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	0.00		मिजान:-	3.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया  
हो, नहीं दर्ज किया जावे।